Annexure-3

Revised

वित्तीय दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम :– स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया एवं आकस्मिक मद ।

बजट / एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक–2 के आधार पर)– Subcentre Rent and Contingencies

बजट क्रम संख्या / एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक–2 के आधार पर)–B 19.4.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण(5–10 वाक्य अधिकतम)

राज्य में कुल 9696 स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है एवं 7,765 वर्ष 2012 तक स्थापित किया जाना है । पूर्व से कार्यरत कई स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के भवन में कार्यरत है । साथ ही कई नवसृजित स्वास्थ्य उपकेन्द्र भी किराये के भवन में प्रारंभ कराया गया है । प्रत्येक जिलों में उपरोक्त दोनों श्रेणियों के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये का भुगतान किया जाना है । किराया का दर अधिकतम 500/–रूपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है कई स्थानों पर 500/–रू0 से कम की भी किराया के भवन में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत होंगे । किराया का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा किया जाएगा ।

इकाई राशि (रू0 लाख में)–प्रति प्रखण्ड इकाई राशि निम्नलिखित है : रू0 500/– प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र।

वित्तीय दिशा–निर्देशन–

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के किराये के भुगतान हेतु जिलों को प्राप्त राशि से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाएगी । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी किराये का विपत्र तैयार कर उसे पास कर मकान मालिक को चेक के माध्यम से भुगतान करेंगे एवं व्यय प्रतिवेदन माह के अंतिम तारीख को जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेंगे । यदि किसी माह किसी स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराये के राशि की उपलब्धता के बावजूद किराया मकान मालिक को भुगतान नहीं किया गया तो जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित प्रभारी से भुगतान नहीं किये जाने का कारण प्राप्त कर राज्य को संसुचित करेगी । जिस प्रकार कार्यक्रमों के राशि वितरण किया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक माह के प्रारंभ में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये का भुगतान किया जाना अनिवार्य है । वर्तमान में 12 महीने के लिए राशि विमुक्त की जा रही है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0तिथि के साथ उल्लेखित करें)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0– तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम–श्री अशोक कुमार सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर–0612–2292059

प्रशासी पदाधिकारी